




FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा  
मगवानदेई बनाम मदन वर्मा  
 किस्म मुकदमा दवा नं. 140/22 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12 <sup>11</sup> / <sub>22</sub>	<p>पनावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में वारिष्ठा ने प्रार्थना पत्र देकर शक्ति रिजत जाने का निवेदन किया था। वारिष्ठा के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि पत्रकारों के वृद्ध राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से शमीनामा हो गया है प्रकरण नोटिस रिजत। अतः वारिष्ठा ने प्रार्थना पत्र व वकील वारिष्ठा के नोटिस रिजत जाने की स्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण इसी स्तर पर शक्ति रिजत जाता है पनावली केसल शुभार होकर दाखिल दफ्तर हो</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              राजाखेड़ा         </p> <p style="text-align: center;">               मदन वर्मा              राष्ट्रीय लोक अदालत         </p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              राष्ट्रीय लोक अदालत         </p>	